तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 139/2022(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/229) बअनवान राणुसिंह व अन्य बनाम अर्जुनसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राणुसिंह व अन्य

बनाम

अर्जुनसिंह इत्यादि

आदेश

दिनांक 15 जनवरी 2025

उपस्थिति

1. श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. इक्कीस

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लोहावट के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2022 अनवान अर्जुनसिंह व अन्य बनाम ओमप्रकाश इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2022 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 06 जून 2022 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा सह खातेदारी की भूमि में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के वाद व धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के साथ में नजरी नक्शे अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलाधीन आदेश के द्वारा जारी की है। कानूनन सहखातेदारी की भूमि में इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। न ही रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने धारा 212 के प्रार्थना पत्र के साथ कोई नजरी नक्शा पेश नहीं किया है। अपीलाधीन आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है। विचारण न्यायालय द्वारा एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है, जिसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिा का आदेश नहीं है तथा साधारण नोटिस आज दिन तक जारी नहीं हुए है। अपीलार्थीगण ग्राम ढेलाणा, तहसील लोहावट के खसरा नं. 131 व 131/2 के रेकर्डेड सहखातेदार है। रेस्पोडेंट संख्या एक व दो अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलार्थीगण को कृषि कार्य नहीं करने दे रहे है जो एक खातेदार के खातेदारी अधिकारों का हनन है, इस कारण न्याय हित में अपीलाधीन आदेश की को अपास्त किया जाना आवश्यक है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2022 को अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया विचारण न्यायालय में मूल वाद विचाराधीन है। मूल वाद के विचाराधीन रहते विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 131 कुल रकबा 6.7582 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 131/2 रकबा 3.6422 हेक्टेयर उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। खसरा नं. 131 एवं 131/2 में अपीलांट संख्या एक व दो का क्रमशः 117/5344-117/5344 एवं 1/32-1/32 हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी पक्ष को सुनकर विशेष भू-भाग पर अस्थाई निषेधाज्ञा एकपक्षीय जारी की जाकर आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना नहीं किया जाना प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है जो कानूनन विधिसम्मत नहीं है। इसलिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 139/2022(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/229) बअनवान राणुसिंह व अन्य बनाम अर्जुनसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है। मामला अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। लिहाजा मामले के विधिसम्मत निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2022 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे परस्पर एक-दूसरे के कब्जे काश्त में कोई दखलंदाजी नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर